न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 22/2021 (मुकदमा न0 विविध **220/2019**)

वादी :–

1. भंवरलाल पुत्र कानाराम उम्र 59 वर्ष जाति जाट निवासी सांभरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. धरमाराम पुत्र कानाराम
2. श्रीमती रेणु चौधरी पति धरमाराम जाति जाट निवासीयान सांभरा
3. राजस्थान राज्य जरीये प्रतिनिधि तहसीलदार पचपदरा।
4. खेताराम पुत्र गेनाराम जाट नि0 साभरा हाल सवाऊ पदमसिंह (प्रफोर्मा पक्षकार)
5. सोनीदेवी पत्नी भगवानाराम
6. हनुमानाराम पुत्र भगवानाराम
7. चनणाराम पुत्र भगवानाराम
8. ठाकराराम पुत्र भगवानाराम
9. लालाराम पुत्र काछबाराम
10. तुलछाराम पुत्र काछबाराम
11. ठाकराराम पुत्र काछबाराम
12. डुंगराराम पुत्र चैनाराम
13. खेमाराम पुत्र चैनाराम
14. अणसीदेवी पत्नी डुंगराराम
15. पारूदेवी पत्नी खेमाराम जाति जाट सभी निवासीयान लापुन्दडा तहसील गिडा जिला बाडमेर ।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

<u>**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**</u>

उपस्थित :– 1. श्री अचलाराम थोरी वादी वकील
2. श्री सोहनलाल बारूपाल प्रतिवादी वादी वकील

दिनांक :– 11.2.2021

निर्णय

संक्षेप वादी के वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा आपसी सहमति से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली तारीख पेशी पर लेने बाबत प्रस्तुत किया गया साथ ही वादी के [illegible] के तहत प्रस्तुत किया लेकिन राजीनामा खातेदारी की घोषणा करने के [illegible] आवेदन पत्र को वाद पत्र में संयोजित करने के लिए आवेदन [illegible] 01 व 02 की और वकील श्री सोहनलाल के द्वारा वकालातनामा पेश किया गया [illegible] मिसल किये गये। [illegible] को स्वीकार कर बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। मौजा सांभरा तहसील पच[illegible] कृषि भूमि मूलखसरा सं. 97 रकबा 117.12 बीघा किस्म बा. सो अवस्थित रही है, उक्त भूमि में तत्समय में निम्न प्रकार से हिस्से रहे :–

(क) लालाराम, तुलसाराम, ठाकराराम पुत्रान काछबाराम 1/4 हिस्सा

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.10 18:58:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

(ख) डुंगराराम, शेराराम, खेमाराम पुत्रान चैनाराम 1/4 हिस्सा

(ग) सांवलराम, मिश्रीमल पुत्रान बस्तीराम,

लिखमीचन्द पुत्र भंवरलाल नाबालिंग वली वारिस अणसी बेवा भंवरलाल 1/2 हिस्सा

सांवलराम वगैरा का जो 1/2 हिस्सा बराबर 58 बीघा 16 विस्वा हिस्सा था में से वर्तमान प्रकरण के प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 दोनो सगे भाई है, के द्वारा जरीये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 16.01.1980 को 29 बीघा 08 विस्वा यानि कुल जमीन रकबा 117.12 बीघा का 1/4 हिस्सा जरीये पंजीकृत दस्तावेज सं. 15/1980 खरीद किया, बाद खरीद माफिक पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार राजस्व रेकर्ड में म्युटेशन सं. 222 दर्ज किया गया । यही प्रविष्टियां यानि म्युटेशन सं. 222 में दर्ज प्रविष्टियां जमाबन्दी में आगे सम्पादित की जानी थी, किन्तु जमावन्दी संवत 2046 से 2049 में प्रविष्टियां सम्पदित करते समय प्रार्थी के बडे भाई विप्रार्थी सं. 01 अकेले के नाम 1/4 हिस्सा लिपिकीय त्रुटिवंश पटवारी ने दर्ज कर दिया, इस कारण प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं हो सका। जो मात्र लिपिकीय त्रुटि एरर एपीरेन्ट ऑन दा रेकर्ड रही है तदोपरान्त उक्त मूल खसरा सं. 97 के कुल रकबा 117.12 बीघा में 1/4, 1/4ए 1/4, 1/4 हिस्से दर्ज थे, के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा हो जाने से निम्न नये खसरे वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में खसरा सं. 327/97 रकबा 01.08 बीघा, खसरा सं. 323/97 रकबा 29.01 बीघा, खसरा सं. 326/97 रकबा 29.01 बीधा, खसरा सं. 325/97 रकबा 29.01 बीघा, खसरा सं. 324/97 रकबा 29.01 बीघा दर्ज हुए।

उक्त नये खसरान में वर्तमान प्रार्थना पत्र का खसरा सं. 327/97 रकबा 01.08 बीघा में से विप्रार्थी सं. 01 धरमाराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्से तक तथा खसरा सं. 324/97 रकबा 29.01 बीघा की हद तक वर्तमान राजीनामा प्रार्थना पत्र का सरोकार है, अन्य तरमीमी खसरो से वर्तमान प्रकरण का कोई सरोकार नहीं है। विप्रार्थी सं. 04 ता 15 प्रकरण में फोर्मल पक्षकार बनाया गया है, उनके विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, मात्र खसरा सं. 327/97 में सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है, अनुतोष मात्र विप्रार्थी सं. 01 व 02 के विरूद्व ही रहा इसलिये राजीनामा विप्रार्थी सं. 01 02 व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

उपरोक्त प्रकरण प्रस्तुत होने के बाद यह तय किया है, कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर मुल खसरा सं. 97 वर्तमान जमाबंदी में तरमीमी खसरा सं. 324/97 रकबा 29.01 बीघा भूमि मौजा सांभरा में 1/2 हिस्सा प्रार्थी भंवरलाल के नाम राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटि को दुरस्त करते हुए किया जावे। ताकि दोनो भाईयो के मध्य विवाद का निस्तारण हो सके। पक्षकारान् को खर्चे हर्जे एतराज नहीं है।

उभय पक्षकारान के द्वारा आपसी राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है, कि पत्रावली दिनांक 19.03.2021 से आज सुनवाई में तलब कर मुल खसरा सं. 97 वर्तमान जमाबंदी मे तरमीमी खसरा सं. 324/97 रकबा 29.01 बीघा भूमि मौजा सांभरा में 1/2 हिस्सा प्रार्थी भंवरलाल के नाम राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटि को दुरस्त करते हुए भंवरलाल का नाम दर्ज किया जावे, एवं शेष 1/2 हिस्सा वर्तमान प्रकरण के विप्रार्थी सं. 02 रेणु चौधरी के नाम यथावत् रखा जावें। उक्त आदेश से विप्रार्थी सं. 04 ता 15 के कोई हक हित प्रभावी नहीं है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.10 18:58:41 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारान वकील के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विप्रार्थीगण संख्या 01 ने विप्रार्थीगण सं0 2 को अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान कर दिया इसलिए अधिक भूमि का बेचान कर दिया इसलिए उक्त प्रकरण को मूल वाद पत्र में ट्रिंट कर दुरूस्ती कर प्रार्थी वादी के नाम हिस्सा जरिये घोषणा हिस्सा दर्ज किया जावे। मूल वाद पत्र के तौर से प्रकरण कन्वर्ड कर माफिक राजीनामा निर्णित किया जावें। उपरोक्त अनवान प्रकरण आवेदन पत्र धारा 136

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner

आरएलआर के तहत प्रस्तुत किया लेकिन राजीनामा खातेदारी की घोषणा करने के संबंधी होने से आवेदन पत्र को वाद पत्र में संयोजित कर उभय पक्षकारान में राजीनामा अनुसार वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद पत्रावली का अवलोकन संलग्न दस्तावेंजात की प्रमाणित जमाबंदी 2074–77 छायाप्रति, का व पक्षकारन का आपसी राजीनामा प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया गया । पक्षकारन के मध्य राजीनामा हो जाने से वादी का वाद आपसी राजीनामा के आधार पर स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचन के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्रस्तुत राजीनामा आपसी सहमति से प्रार्थना–पत्र लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रस्तुत किया गया है, जिसको स्वीकार कर वादी के वाद को लोक अदालत की भावना प्रस्त राजीनामा मुताबिक स्वीकार किया जाकर वादी को मौजा सांभरा तहसील पचपदरा में कृषि भूमि मूल खसरा सं. 97 वर्तमान जमाबंदी मे तरमीमी खसरा सं. 324/97 रकबा 29.01 बीघा वादग्रस्त आराजी में वादी भंवरलाल का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटि को दुरस्त करते हुए खातेदारी में घोषित किया जाता है, एवं शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या सं. 02 रेणु चौधरी के नाम यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। मूल खसरा संख्या 97 के अन्य तरमीमी खसरान की वर्तमान प्रविष्टियां यथावत रहेगी तथा पक्षकार संख्या 4 ता 15 कोई अधिकार उक्त निर्णय से प्रभावित नहीं रहेगे। तहसीलदार पचपदरा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद दर्ज करे। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो । तस्दीक सुदा आपसी राजीनामा निर्णय का अंग शुमार रहेगा ।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर,
बालोतरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 11.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलेक्टर,
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.10 18:58:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Cill Procedure Code,Appendeix "d" 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 22/2021 (मुकदमा न0 विविध 220/2019)

वादी :– 1 भंवरलाल पुत्र कानाराम उम्र 59 वर्ष जाति जाट निवासी सांभरा तह0 पचपदरा जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. धरमाराम पुत्र कानाराम
2. श्रीमती रेणु चौधरी पति धरमाराम जाति जाट निवासीयान सांभरा
3. राजस्थान राज्य जरीये प्रतिनिधि तहसीलदार पचपदरा।
4. खेताराम पुत्र गेनाराम जाट नि0 साभरा हाल सवाऊ पदमसिंह (प्रफोर्मा पक्षकार)
5. सोनीदेवी पत्नी भगवानाराम
6. हनुमानाराम पुत्र भगवानाराम
7. चनणाराम पुत्र भगवानाराम
8. ठाकराराम पुत्र भगवानाराम
9. लालाराम पुत्र काछबाराम
10. तुलछाराम पुत्र काछबाराम
11. ठाकराराम पुत्र काछबाराम
12. डुंगराराम पुत्र चैनाराम
13. खेमाराम पुत्र चैनाराम
14. अणसीदेवी पत्नी डुंगराराम
15. पारूदेवी पत्नी खेमाराम जाति जाट सभी निवासीयान लापुन्दड़ा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर ।

दिनांक :– 11.2.2021

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री अचलाराम थोरी वकील वादीगण मिनजानिब श्री सोहनलाल बारूपाल वकील प्रतिवादीगण मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी जारी की जाती है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्रस्तुत राजीनामा आपसी सहमति से प्रार्थना–पत्र लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रस्तुत किया गया है, जिसको स्वीकार कर वादी के वाद को लोक अदालत की भावना प्रस्त राजीनामा मुताबिक स्वीकार किया जाकर वादी को मौजा सांभरा तहसील पचपदरा में कृषि भूमि मूल खसरा सं. 97 वर्तमान जमाबंदी मे तरमीमी खसरा सं. 324/97 रकबा 29.01 बीघा वादग्रस्त आराजी में वादी भंवरलाल का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटि को दुरस्त करते हुए खातेदारी में घोषित किया जाता है, एवं शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या सं. 02 रेणु चौधरी के नाम यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। मूल खसरा संख्या 97 के अन्य तरमीमी खसरान की वर्तमान प्रविष्टियां यथावत रहेगी तथा पक्षकार संख्या 4 ता 15 कोई अधिकार उक्त निर्णय से प्रभावित नहीं रहेंगे।

Signature Not Verified

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक को जारी की गई।

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.10 18:58:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Scanned with CamScanner